<u>न्यायालय–सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)</u> (पीठासीन अधिकारी–सिराज अली)

<u>आप. प्रक. क.—484 / 2010</u> संस्थित दिनांक—30.06.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–मलाजखंड, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

. — — — — <u>अ</u>भियोजन

// <u>विरुद्ध</u> //

भूमेश पिता दोहाराम गौतम, उम्र—26 वर्ष, जाति—पंवार, साकिन बाकीगुड़ा, थाना मलाजखंड, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — <u>आरोपी</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक—04/07/2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भा.दं.वि. की धारा—279, 337, 304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—07.06.2010 को समय दिन के 11:00 बजे, स्थान ग्राम बाकीगुड़ा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत सार्वजनिक लोकमार्ग पर पिकअप वाहन क्रमांक—सी.जी. 07/सी. 3220 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत आकाश को टक्कर मारकर साधारण उपहित कारित की एवं मृतक राजेश को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरोपी ने घटना दिनांक-07.06.2010 को समय दिन के 11:00 बजे, स्थान ग्राम बाकीगुड़ा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत आरोपी के द्वारा पिकअप वाहन क्रमांक-सी.जी.07 / सी.3220 को उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर, मोटरसाइकिल बाक्सर क्रमांक-एम.पी.50 / बी.0889 को टक्कर मार दी, जिससे वाहन में बैठे आहत आकाश को साधारण चोट आयी एवं राजेश की मृत्यु हो गयी। सूचनाकर्ता विपतसिंह के द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मलाजखंड में दर्ज किये जाने पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक-43 / 2010, धारा-279, 337, 304(ए) भा.दं.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा मृतक राजेश के मृत्यु के संबंध में मर्ग इन्टीमेशन कमांक—19/10, मृत्यु पंचनामा तैयार कर मृतक के शव का शव परीक्षण कराया गया तथा आहत आकाश का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित पिकअप वाहन क्रमांक-सी.जी.07 / सी.3220 एवं क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल बाक्सर क्रमांक-एम.पी. 50 / बी.0889 को जप्त किया गया। पुलिस द्वारा दुर्घटना कारित पिकअप वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उसके विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3— आरोपी को भा.द.वि. की धारा 279, 337, 304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की है।
- 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक—07.06.2010 को समय दिन के 11:00 बजे, स्थान ग्राम बाकीगुड़ा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत सार्वजनिक लोकमार्ग पर पिकअप वाहन कमांक—सी.जी.07 / सी.3220 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
 - 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत आकाश को साधारण उपहित कारित किया?
 - 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक राजेश की मृत्यु कारित किया, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है?

विचारणीय बिन्द्ओं का सकारण निष्कर्ष :-

सूचनाकर्ता विपतसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह मृतक राजेश व आहत आकाश को भी जानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व दिन के 10:00 बजे ग्राम बाकीगुड़ा की है। घटना दिनांक को मृतक राजेश मोटरसाइकिल से जा रहा था एवं आरोपी भूमेश पिकअप वाहन को चलाते हुए पटेल टोला तरफ आ रहा था। राजेश के साथ आकाश भी बैठा था। घटना दिनांक को राजेश एवं आकाश रिश्तेदारों को मांदी का निमंत्रण देने जा रहे थे। मृतक राजेश की मोटरसाइकिल को आरोपी ने पिकअप वाहन से टक्कर मार दिया था, घटना स्थल पर ही राजेश फौत हो गया था। उक्त घटना में आकाश्या को भी चोट आयी थी। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी पिकअप वाहन को कैसे चला रहा था। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। उसके द्वारा उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना मलाजखंड में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त पीकअप वाहन का नंबर उसे मालूम नहीं है। पुलिसवालों ने उसके समक्ष मर्ग इंटीमेश्न तैयार किया था जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने नक्शा पंचायतनमा उसके समक्ष तैयार किया था जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृत्यु जॉच में उपस्थित होने के लिए उसे बुलाया था, मृत्यु पंचायतनामा प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने मृतक राजेश के शव को सुपूर्दनामे पर लिया था जो प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल से मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-7 तैयार किया था,

जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर पर था, इसलिए नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई है। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

- 6— माखन (अ.सा. 2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा आहत आकाश को जानता है। वह मृतक राजेश को भी जानता था। घटना पिछले वर्ष ग्रम बाकीगुड़ा दिन के 12:00 बजे की है, राजेश मोटरसाइकिल से जा रहा था और विपरीत दिशा से आरोपी पिकअप वाहन से आ रहा था। उसे जोर से आवाज सुनाई दी उस समय वह सो रहा था। आवाज सुनाई देने पर वह घर से निकलकर आया तो देखा कि पिकअप वाहन भूमेश के घर के सामने खड़ी थी और घटना स्थल पर राजेश मोटरसाइकिल से गिरा पड़ा हुआ था और मोटरसाइकिल में आकाश फंसा हुआ था। राजेश घटना स्थल पर ही फौत हो गया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। आरोपी वाहन को टर्निंग होने के कारण धीरे चला रहा था। मृतक राजेश की मोटरसाइकिल ही रफतार में थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण मे यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी और उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखा। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।
- 7— शंकर (अ.सा. 3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी भूमेश, मृतक राजेश तथा आहत आकाश को जानता है। घटना दो वर्ष पूर्व दिन के 10—11 बजे ग्राम बाकीगुड़ा की है। घटना के समय वह अपनी सायकिल से दूघ लेने जा रहा था। वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, जब वह घटना स्थल पर पहुंचा था तो मृतक राजेश घटना स्थल पर मरा पड़ा हुआ था। घटना स्थल पर मोटरसाइकिल मौजूद थी और आकाश भी वहीं पर था। वह नहीं बता सकता कि राजेश का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। आकाश को पैर में चोट आयी थी। उसने पुलिस को बयान दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा और आरोपी को वाहन चलाते हुए भी नहीं देखा। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।
- 8— जेठूसिंह (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह आकाश एवं मृतक राजेश को भी पहचानता है। घटना लगभग ढाई साल पूर्व 10 बजे दिन की बाकीगुड़ा की है। उसका लडका राजेश उसके नाती के बारसा का निमंत्रण देने मोटरसाइकिल से जा रहा था उसके साथ आकाश भी था। माखन और शंकर उसके नाती आकाश को लेकर उसके घर आये थे तब उन्होंने उसे बताये थे कि आकाश मोटरसाइकिल में दबा हुआ था और राजेश बेहोश पड़ा हुआ है और पैर छिल गया है। उसने घटना स्थल पर जाकर देखा तो गाड़ी अपने साईड में पड़ी हुई थी और राजेश को सिर और माथे में चोट आयी थी और घुटने की हड्डी अलग हो गई थी तथा पैर की दो—दो अंगुली गायब हो गई थी। उसे शंकर और माखन ने बताये थे कि उसे पिकअप वाले भूमेश ने ठोस मारा है तथा राजेश के साईड में ठोस

मारा है। रिपोर्ट करने पर पुलिस आयी थी, उससे पूछताछ की थी। उसे लगता है कि आरोप ने जानबुझकर उसके लड़के को ढोस मारा है। पुलिस ने उसके समक्ष नक्शा पंचायत नामा बनाये थे जो प्रदर्श पी—4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसे पुलिस ने मृत्यु जांच में उपस्थित होने के लिए सूचना प्रदर्श पी—5 दिये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसने घटना होते हुए नहीं देखा। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— सरस्वती (अ.सा. 5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी को पहचानती है। वह आकाश को भी पहचानती है। मृतक राजेश को पहचानती हूं उसके पित है। घटना लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ग्राम बाकीगुड़ा दिन के 11:00 बजे की है। उसे शंकर ने आकर बताया था कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी छोटी बच्ची का बारसा था उसका निमंत्रण देने उसके पित जा रहे थे उस समय पिकअप लेकर भूमेश आ रहा था। उसके पित अपने साईड से जा रहे थे तो आरोपी ने उसके पित को जानबुझकर मारा है। उसके पित घटना स्थल पर ही फौत हो गये थे। उसके पित का सर फट गया था और पैर में चोट आयी थी। वह घटना स्थल पर जाकर देखी तो उसके पित फौत हो गये थे। उक्त घटना आरोपी की गलती से हुई है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी तथा घटना किसकी गलती से हुई थी वह भी नहीं देखी। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा. 7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि 10-वह दिनांक-07.07.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखंड के आरक्षक महलसिंह कमांक-332 द्वारा मृतक राजेश पिता जेठू के शव को शव परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा मृतक राजेश के शव का परीक्षण किया गया था, उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु का कारण कोमा है जो कि मृत्यु पूर्व हेड इंजरी के फलस्वरूप हुआ है। उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष दिनांक-08.06. 2014 को थाना मलाजखंड के आरक्षक रमेश क्रमांक—495 द्वारा आहत आकाश पिता योगेन्द्र को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा दिनांक-08.06.2014 को आहत आकाश उम्र 4 वर्ष का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था जिसमें उसने आहत के दाहिने पैर पर बहुत सी खरोंच पाया था, जिन्हें नापना संभव नहीं था, आहत के दाहिने घुटने पर एक खरौंच तथा बांयी आंख के बाहरी भाग पर एक खरौंच पाया था। उसके मतानुसार आहत को आयी चोट कडें एवं खुरदुरे वस्तु से आना प्रतीत होती है। उसकी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार साक्षी ने मृतक राजेश की मृत्यु वाहन दुर्घटना में होने की पुष्टि की है तथा आहत आकाश को वाहन दुर्घटना में साधारण चोट कारित होने की पुष्टि की है।

11-

कथन किया है कि वह दिनांक-07.06.2010 को थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता विपतसिंह के मौखिक सूचना दिये जाने पर उसके द्वारा मृतक राजेश की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-2 एवं अपराध कमांक-43 / 10, धारा 304(ए) भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही सूचनाकर्ता विपत की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही मृतक राजेश की मृत्यु के संबंध में पंचायतनामा प्रदर्श पी-5 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-4 पंचों के समक्ष तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मृतक राजेश के शव को शव परीक्षण हेतु तथा आहत आकाश को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल बिरसा भेजा गया था। उक्त दिनांक को ही विपतसिंह, मक्खनसिंह, शंकरसिंह, हर्षनबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही घटना स्थल से एक मोटरसाइकिल कमांक-एम.पी.50 / बी.0889 को क्षतिग्रस्त हालत में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-7 के अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक-08.06.2010 को साक्षी जेवूसिंह, सरस्वतीबाई, सुशीलाबाई, दिनांक—11.06.2010 को भभूतदास तथा दिनांक-18.06.2010 को लखनसिंह, हीरालाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसके द्वारा दिनांक-14.06.2010 को आरोपी भूमेश गौतम से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-8 के अनुसार पिकअप वाहन क्रमांक-सी.जी.07 / सी.3220 मय दस्तावेज के जप्त किया था, जिस पर उसके तथा आरोपी और साक्षियों के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-9 के अनुसार गिरफतार किया था, जिस पर उसके हसताक्षर है। दिनांक-24.06.2010 को आरोपी से साक्षियों के समक्ष ड्रायविंग लायसेंस जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—10 के माध्यम से जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा जप्तशूदा पिकअप वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराकर रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है। साक्षी ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

- 12— लखनिसंह(अ.सा. 6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता हैं वह मृतक राजेश को भी जानता है। वह आकाश को नहीं जानता। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व दिन के समय की है। राजेश का एक्सीडेंट होने के कारण मृत अवस्था में देखे थे। पुलिस ने नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—4 उसके समक्ष तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस द्वारा मृत्यु जांच में उपस्थित होने उसे बुलाया गया था, जो प्रदर्श पी—5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अनुसंधानकर्ता के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है।
- 13— चैतराम (ब.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना 4 साल पूर्व दिन के 11 बजे सोमवार की है, घटना समय वह सोसायटी के सामने गांव के अन्य लोगों के साथ खड़ा था। कुछ दूरी पर आगे ढलकराम के घर के पास भीड़ थी। उक्त भीड़ देखकर वह, मक्खन, शंकर, जूटू, बजराईन, सरस्वती घटना स्थल पर जाकर

देखे तो मृतक राजेश तथा पास में ही आहत आकाश भी पड़ा हुआ था, जिसे लेकर उसके घर गये थे। पिकअप वाहन भूमेश के घर के सामने पर था। उसने पिकअप वाहन से कोई घटना होते हुए नहीं देखा था। उसे रोड़ पर पिकअप वाहन के टायर के निशान भी नहीं दिखे थे। इस साक्षी के द्वारा दुर्घटना होते हुए नहीं देखी गई है। इस प्रकार साक्षी के कथन से बचाव पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

14— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अपने मुख्य परीक्षण में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन किया है किन्तु उक्त सभी साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने स्वयं दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षीगण ने परस्पर विरोधाभासी कथन करते हुए प्रतिपरीक्षण में एकमत होकर घटना स्वयं के द्वारा न देखे जाने के कथन किये गये है। इस कारण से साक्षीगण ने आरोपी की उक्त दुर्घटना में गलती होने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किये है तथा किसी भी साक्षी ने आरोपी की उक्त दुर्घटना में उतावलापन एवं उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की है। चुंकि सभी साक्षीगण ने दुर्घटना होते हुए नहीं देखे जाने के कथन किये है। ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष को उक्त महत्वपूर्ण एवं चक्षुदर्शी साक्षियों का समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

15— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से केवल यह प्रमाणित कि आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित पिकअप वाहन का चालन किया जा रहा था, किन्तु उक्त पिकअप वाहन को लोकमार्ग पर आरोपी के द्वारा उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाये जाने व उसके कारण दुर्घटना घटित होने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया गया है। मात्र प्रकरण में समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन मामला प्रमाणित नहीं होता है, जबिक घटना के महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है। अतएव अभियोजन का मामला आरोपी के विरुद्ध युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

16— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने दिनांक—07.06.2010 को समय दिन के 11:00 बजे, स्थान ग्राम बाकीगुड़ा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत सार्वजनिक लोकमार्ग पर पिकअप वाहन कमांक—सी.जी.07 / सी.3220 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत आकाश को टक्कर मारकर साधारण उपहित कारित की एवं मृतक राजेश को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 304(ए) के अन्तर्गत अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17-

18— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्षतिग्रस्त वाहन मोटरसाइकिल बाक्सर क्रमांक—एम. पी. 50/बी. 0889 जेठू पिता बडरूसिंह तेकाम को हिपाजत नामे पर प्रदान किया गया है तथा दुर्घटना कारित पिकअप क्रमांक—सी.जी. 07/सी. 3220 उसके पंजीकृत स्वामी भागचंद पिता शिवाजी को सुपुर्दनामे पर को प्रदान की गई है। अतः उक्त हिपाजतनामा एवं सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् सुपुर्ददार/आवेदक के पक्ष में उन्मोचित समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

THE PARTY PORTON TO THE PARTY OF THE PARTY PORTON TO THE PARTY POR

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट